इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 मार्च 2017—फाल्गुन 13, शक 1938

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017

क्रमांक : 1–01–2015–साठ– मंत्रि परिषद दिनांक 02 अगस्त 2016 को सम्पन्न बैठक में मध्य प्रदेश शासन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, द्वारा देय अनुदान के माध्यम से सिंचाई प्रयोजन के लिये सोलर पम्प स्थापना की योजना (मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना) अनुमोदित की गयी है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण)'' में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य में सिंचाई प्रयोजन के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करती है :–

(i) मध्यप्रदेश शासन, और (ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, या (iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, द्वारा देय अनुदान के माध्यम से सिंचाई प्रयोजन के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना को **'मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना'** कहा जाएगा।

(2) **अनुदान व्यवस्थाः–**

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से सोलर पम्प योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान को मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अनुदान से ''टॉपअप'' किया जाएगा, जिससे हितग्राही को कंडिका 3 अनुसार हितग्राही अंश देना होगा।

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से सोलर पम्प् योजना अंतर्गत अधिक से अधिक प्राप्त हो सकने वाले लक्ष्य के उपरांत, ''मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना'' के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपलब्ध निधि का भी उपयोग किया जाये, जिसके अंतर्गत पम्प की कुल लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध होगा। उक्त राशि को राज्य शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा टॉपअप कराया जाएगा, जिससे कि हितग्राही अंश वही हो, जो कंडिका 2 (i) के पम्पों के लिए निर्धारित है।

(iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा देय अनुदान व्यवस्थाओं को क्रमशः नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, म. प्र. शासन, और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के समन्वय से लागू किया जाएगा।

(iv) इस योजना के अंतर्गत सोलर पम्प की कुल कीमत (पाँच वर्षीय रख–रखाव एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के सर्विस चार्जेस सहित) के आधार पर ही अनुदान का निर्धारण होगा।

(3) **हितग्राही अंशः–**

3 एच.पी. तक सोलर पम्प के लिए लागत का 10 प्रतिशत और उससे अधिक क्षमता के सोलर पम्प के लिए लागत का 15 प्रतिशत होगा। ऊपर कंडिका 2 (i) अंतर्गत लगाए जाने वाले 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के सोलर पम्पों पर 5 एच. पी. का राज्य अनुदान व निर्धारित केन्द्रांश ही लागू होगा। ऊपर कंडिका 2 (ii) अंतर्गत लगाए गए पम्पों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध पूर्ण अनुदान का उपयोग किया जाएगा,

जिससे 5 एच.पी. से अधिक के पम्प इस व्यवस्था के अंतर्गत सुगमता से 50 प्रतिशत राशि पर दिये जा सकेंगे। शेष राशि की व्यवस्था ऊपर कंडिका 2 अनुसार अनुदान से होगी।

(4) **सोलर पम्प स्थापना की दरों का निर्धारणः-**

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी प्रक्रिया से की गई खुली निविदा के माध्यम से दरों का निर्धारण किया जाएगा। सोलर पम्प की कुल कीमतों का निर्धारण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुसार होगा, जिसमें 5 वर्षीय रख-रखाव एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का सर्विस चार्ज भी शामिल होगा। निविदा की जो भी दरें हो, प्रत्येक क्षमता के ए.सी. एवं डी.सी. पम्प एक ही दर पर हितग्राहियों को दिए जायेंगे, जो दर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से परामर्श कर निर्धारित की जाएगी।

(5) **तकनीकी पहलूः-**

योजना के अंतर्गत 3 एच.पी. क्षमता तक केवल डी.सी. तथा बड़े पम्पों की श्रेणी में ए.सी. व डी.सी. दोनों तरह के पम्प मान्य होंगे।

(6) **योजना का क्रियान्वयनः-**

योजना के लिये लक्षित लाभार्थी एवं परियोजना क्रियान्वयन निम्नानुसार वर्णित है, तथापि लक्षित लाभार्थियों के निर्धारण हेतु पात्रता का परीक्षण तभी किया जाएगा, जब योजना के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हों:-

(i) **लक्षित लाभार्थी*:-**

यह योजना प्रदेश के उन दूर-दराज के क्षेत्रों में क्रियान्वित होगी, जहाँ विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधोसंरचना का विकास नहीं किया जा सका है और कृषि पम्पों हेतु स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं है। योजना को समूह/कलस्टर में लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना निम्न श्रेणियों के हितग्राहियों पर केन्द्रित होगी:-

(एक) ऐसे ग्राम/टोले/वन क्षेत्र या स्थल जो वर्तमान में अविद्युतीकृत हैं और जहाँ अगले 2-3 वर्ष तक परंपरागत विद्युत पहुँचाने की संभावना नहीं है।

(दो) ऐसे विद्युतीकृत ग्राम/टोले जिसमें प्रश्नाधीन स्थल विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत लाईन से कम-से-कम 300 मीटर दूर स्थित हो।

(तीन) नदी या बाँध के समीप ऐसे स्थान जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, एवं फसलों के चयन के कारण जहाँ वाटर पंपिंग की आवश्यकता अधिक रहती हो (जैसे बुरहानपुर का केला क्षेत्र), जिसके कारण कृषकों द्वारा बिजली की वास्तविक खपत

नियामक आयोग द्वारा निर्धारित यूनिट प्रति एच.पी. से अधिक होती है।

(चार) यह योजना राज्य के उन जिलों में भी क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है, जहाँ विद्युत वितरण कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि काफी आधिक है।

(पाँच) उन क्षेत्रों में भी सोलर पम्प लगाने पर जोर दिया जाएगा, जहाँ विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अत्याधिक वाणिज्यिक हानि के कारण ट्रान्सफार्मर हटा लिए गए हैं व परिणामतः क्षेत्र के किसान असंयोजित है।

*लक्षित लाभार्थियों हेतु पात्रता का परीक्षण तभी किया जाएगा जब योजना के अंतर्गत तत्समय आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हों।

(ii) संस्थागत व्यवस्थाः–

(एक) सोलर पंपिंग योजना के क्रियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में "सोलर पम्प स्टेयरिंग कमेटी" गठित की जाएगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

- कृषि उत्पादन आयुक्त : अध्यक्ष
- प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग : सदस्य
- प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग : सदस्य
- प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग : सदस्य
- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग : सदस्य
- प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग : सदस्य
- कन्वेनर (संयोजक) स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एस.एल.बी. सी.) : सदस्य
- प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी : सदस्य
- नाबार्ड के प्रतिनिधि : सदस्य
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधि : सदस्य

- प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम : संयोजक

सोलर पम्प स्टेयरिंग कमेटी के निम्न मुख्य उत्तरदायित्व होंगेः–

- यह सुनिश्चित करना कि कृषक को इस योजना के अंतर्गत एक सम्पूर्ण समाधान/पैकेज उपलब्ध हो सके, जिसमें जल संचयन, ड्रिप ईरीगेशन एवं अन्य माइक्रो ईरीगेशन प्रणाली, बीज एवं खाद्य की आपूर्ति शामिल हो ताकि अतिरिक्त सिंचाई का लाभ मिल सके।
- संस्थागत वित्तीय संस्थानों से कृषि लोन की सुलभ उपलब्धता हेतु व्यवस्था देना।
- यह समिति योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्णय लेगी और जिले/ब्लॉक हेतु लक्ष्य निर्धारित करेगी।

(दो) सोलर पम्प क्रियान्वयन समितिः– योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित 'सोलर पम्प क्रियान्वयन समिति' में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव एवं प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम सदस्य होंगे।

(तीन) जिला स्तर पर योजना की मानिटरिंग किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा पूर्व में गठित 'जिला फार्म मेकेनाइजेशन कमेटी (जे.एम.सी.)' द्वारा की जाएगी, जिसमें जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी–म.प्र.ऊ.वि.नि. को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसकी वर्तमान सदस्यता निम्नानुसार हैः–

- कलेक्टर।
- कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री।
- उप संचालक कृषि।
- प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक।
- जिला पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ।
- जिला प्रबन्धक, विपरण संघ।

(iii) क्रियान्वयन प्रक्रियाः–

(एक) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के वेब पोर्टल पर सोलर पम्प के आवेदन का प्रारूप उपलब्ध होगा। हितग्राही द्वारा इनमें से किसी भी वेब पोर्टल पर ऑनलाईन

आवेदन कर निम्न जानकारी अंकित करनी होगी, जो कि दोनों विभागों के पोर्टल पर परिलिक्षित होगीः-

(क) हितग्राही का नाम, पता, समग्र/आधार या कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र तथा मोबाइल क्रमांक (यदि हो)।

(ख) भू-स्वामितत्व संबंधी दस्तावेज का विवरण (खसरा नंबर, ग्राम, आर.आई. सर्कल, तहसील एवं जिला)।

(ग) सिंचाई का वर्तमान स्त्रोत।

(घ) कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन है या नहीं।

(दो) आवेदक द्वारा जमीन के दिए गए विवरण की पुष्टि ऑनलाईन भू-अभिलेख से की जाएगी।

(तीन) आवेदक के पास कृषि पम्प हेतु स्थाई विद्युत कनेक्शन न होने एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है की पुष्टि विद्युत वितरण कम्पनी से की जाएगी।

(चार) किसी क्षेत्र विशेष के लिए सोलर पम्प संयंत्र की श्रेणी (यथा डी.सी. अथवा ए.सी.), क्षमता (यथा एच.पी.) व हैड का निर्धारण फसलों के प्रकार एवं भूमिगत जल के स्तर पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में सभी निर्णय राज्य स्तरीय सोलर पम्प क्रियान्वयन समिति द्वारा लिए जाऐंगे।

(पाँच) सोलर पम्प स्टेयरिंग समिति द्वारा उन जिलों/ब्लॉकों में अधिक लक्ष्य आवंटित किया जाएगा, जहाँ विद्युत अधोसंरचना से काफी क्षेत्र अछूते हैं और जहाँ विद्युत वितरण कम्पनियों की अत्यधिक वाणिज्यक हानि के कारण विद्युत अधोसंरचना को संकुचित करने का निर्णय करना पड़ा है। निर्धारित अवधि में किसी जिले/ब्लॉक में लक्ष्य अनुसार आवेदन न आने पर, राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति उस जिले/ब्लॉक के शेष लक्ष्य को उस जिले/ब्लॉक में अंतरित करने का निर्णय कर सकेगी, जहाँ लक्ष्य से अधिक आवेदन हैं।

(छः) एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का निष्पादन निम्नानुसार किया जाएगाः-

(क) यदि किसी जिले/ब्लॉक में प्राप्त आवेदनों की संख्या, उस जिले/ब्लॉक के लिए आवंटित लक्ष्य से कम है, तो सभी आवेदकों को (पात्र होने पर) सोलर पम्प स्थापना हेतु कार्यवाही की जाएगी।

(ख) यदि आवेदनों की संख्या आवंटित संख्या से अधिक है, तो लक्षित लाभार्थी श्रेणी के कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला फार्म मेकेनाइजेशन कमेटी (जे.एम.सी.)

द्वारा पात्र आवेदकों का चयन पारदर्शी रूप से किया जाएगा।

(सात) कृषक अंश की राशि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय में कृषकों द्वारा जमा कराई जाएगी। तत्पश्चात यह सुनिश्चित होने पर कि कृषक द्वारा अंश की राशि जमा कर दी गई है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर पम्प के लिए आदेश प्रदत्त कर क्रय एवं स्थापना प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

(7) **शेष ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोगः–**

सोलर पम्पों के सोलर पैनलों से वर्ष के लगभग 330 दिन व औसतन 8 घंटे प्रतिदिन ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि कृषि पम्पिंग हेतु आवश्यकता मात्र लगभग 100–120 दिन ही होती है। अतः शेष ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोगों में दोहन के लिए स्थल आधारित प्रस्तावों (Site Specific Proposals) का "सोलर पम्प स्टेयरिंग कमेटी" द्वारा आंकलन एवं अनुमोदन किया जाएगा। वैकल्पिक उपयोगों हेतु कुल परियोजना लागत की अधिकतम 10% राशि व्यय की जा सकती है, जो व्यय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के बजट आवंटन से किया जाएगा।

(8) **नोडल एजेन्सीः–**

योजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण, प्रदायकर्ता ईकाईयों का चयन, ईकाईयों द्वारा संयंत्र स्थापना का कार्य एवं भुगतान का दायित्व नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधीन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को सौंपा जाता है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संयुक्त रूप से ज़मीनी स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन को मूर्तरूप देंगे। सोलर पम्प की स्थापना के साथ ड्रिप/स्प्रींकलर सिस्टम की स्थापना व उपलब्ध अनुदान को जोड़ने के संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग व उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(9) **योजना अवधिः–**

यह योजना मार्च 2019 तक लागू रहेगी।

मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.